निर्णय बइजलास श्री शक्तिसिंह भाटी, सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमंद

प्र.सं. 47 / 2020 प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक 07.10.2020

अनवान

श्री दिवाकर पुत्र राजेन्द्र जी जाति जाटव उम्र बालिग निवासी कांकरोली जिला राजसमन्द (राज.)

– प्रार्थी

:: बनाम ::

राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि श्रीमान तहसीलदार साहब देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

–विपक्षी

<u>प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 136–131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम</u>

उपस्थित – श्री राजेश समदानी, प्रार्थी अधिवक्ता
श्री राजकीय पैरोकार विपक्षी श्रीमान तहसीलदार देवगढ़

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि प्रार्थी की भूमि यहकि प्रार्थी की भूमि ग्राम अनोपपुरा पटवार हल्का कुन्दवा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में स्थित है। जिसके पुराने खसरा नम्बर 1/6 रकबा 5–00 बीघा एंव वर्तमान नये खसरा संख्या 56 क्षैत्रफल 1.0800 हैक्टेयर भूमि है। जो वर्तमान में किस्म बारानी उतम है। उक्त भूमि प्रार्थी द्वारा विक्रय पत्र से खरीद की है और खरीद दिनांक से प्रार्थी मौके पर काबिज है। उक्त वर्तमान खसरा का पूर्व खसरा नम्बर 1/6 रकबा 5–00 बीघा था और राजस्व ट्रेस में दर्ज था। जिसे अब नये

—2

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

राजस्व ट्रेस मे गलत जगह तरमीम कर त्रुटीपूर्ण कायम कर दिया गया जबकि मौके पर प्रार्थी उसी जगह पूर्व राजस्व ट्रेस अनुसार मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। राजस्व ट्रेस में प्रार्थी के खसरा नम्बर 56 को जहां दर्ज किया गया उसे पूर्व की भांती जहां खसरा नम्बर पुराना 1/6 दर्ज था वही दर्ज किया जावें। राजस्व ट्रेस में त्रुटीपूर्ण किये गयें अंकन को विशुद्व करने के लिये श्रीमान के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। पूर्व राजस्व ट्रेस के अनुसार प्रार्थी मौके पर काबिज हैं परन्तु राजस्व ट्रेस में गलत अंकन होने के कारण प्रार्थी को काफी नुकसान हो रहा हैं उपरोक्त प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा राजस्व रिकार्ड, ट्रेस में की गई विसंगतियो को सुधार करने का प्रावधान हैं राजस्व ट्रेस में भूलवश की गई त्रुटी को सुधारा जा सकता है जो आप न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। मौके पर गलत तरमीम होने के कारण प्रार्थी को बेवजह क्षति कारित हो रही हैं इसलिए प्रार्थी उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर का राजस्व ट्रेस में पूर्व राजस्व ट्रेस अनुसार तरमीम किया जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थी अपनी भूमि का उपयोग, उपभोग कर उसे विकसीत कर सके। इसलिये आप न्यायालय में प्रार्थना पत्र किया पेश है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गयें जिनके सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए प्रत्युत्तर में विपक्षी राज्य सरकार की ओर से श्रीमान तहसीलदार देवगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया जिसमें अंकित किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट व पूर्व वर्तमान राजस्व रिकार्ड पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी अपनी पुराने आराजी नम्बर 1/6 पुराने नक्शे में जिस स्थान पर तरमीम हैं उसी स्थान पर काबिज है किन्तु सेटलमेन्ट के बाद लागु नक्शा ट्रेस में अंकित नवीन आराजी नम्बर 56 प्रार्थी के पूर्व के तरमीमसुदा व कब्जेसुदा आराजी नम्बर 1/6 के विपरीत भिन्न स्थान पर तरमीम हो गया है जिस स्थान पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है। प्रार्थी की भूमि का नवीन आराजी नम्बर 56 सेटलमेन्ट से पूर्व के तरमीमसुदा नक्शे के विपरीत भू–प्रबंध विभाग द्वारा सेटलमेन्ट के वक्त तरमीम हुआ है। प्रार्थी अपने पूर्व के तरमीमसुदा आराजी नम्बर 1/6 पर ही काबिज हैं। भू–प्रबंध विभाग से जारी नवीन नक्शा ट्रेस व पूर्व का राजस्व रेकार्ड व

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

नक्शे में भिन्नता है। तहसीलदार देवगढ़ द्वारा पेश राजस्व रेकार्ड, नक्शा ट्रेस व मौके पर कब्जे संबधित रिपोर्ट एंव सेटलमेन्ट विभाग द्वारा की गई गलती को दुरूस्त करने की रिपोर्ट के साथ न्यायालय में पेश हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि राजस्व रेकार्ड एंव राजस्व नक्शा ट्रेस में शुद्धि किया जाना न्याय हित में आवश्यक हैं जिससे प्रार्थी अपनी भूमि का विकास कर सकें एंव प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थनापत्र में वर्णित भूमि जिसके पुराने आराजी खसरा नम्बर 1/6 रकबा 5–00 बीघा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी तथा नये आराजी खसरा नम्बर 56 क्षैत्रफल 1.0800 हैक्टेयर हैं जो राजस्व नक्शा ट्रेस में त्रुटी होने से शुद्व किया जाना न्याय हित में आवश्यक है प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी की बहस का मनन किया गया प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेजो का अवलोकन किया गया तहसीलदार देवगढ़ के द्वारा पेश जवाब का अवलोकन किया गया तहसीलदार देवगढ़ के जवाब के साथ पेश दस्तावेज जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, नजरी नक्शा एंव पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। तहसीलदार देवगढ़ द्वारा पेश जवाब पत्र अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136, 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर राजस्व जमाबन्दी एंव ट्रेस में प्रार्थी की खातेदारी भूमि के वर्तमान आराजी खसरा नम्बर 56 को पुराने खसरा नम्बर 1/6 पुरानी जमाबन्दी एंव पुराने नक्शा ट्रेस अनुसार जो वर्तमान राजस्व ट्रेस व

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

—4

राजस्व रिकार्ड में अंकन को विशुद्व किये जाने का आदेश दिया जाता है एंव प्रार्थी वर्तमान में जहां पूर्व नम्बर व ट्रेस अनुसार काबिज हैं उसी स्थान पर नये नम्बर को राजस्व नक्शा ट्रेस में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार देवगढ़ को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलेक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी देवगढ़